सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 64

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2831.42	2.95	2834.37	3454.22	10.55	3464.77	5446.36	16.35	5462.71	6471.36	10.60	6481.96
वसूलियां	*-5.63*	...	-5.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2825.79**	**2.95**	**2828.74**	**3454.22**	**10.55**	**3464.77**	**5446.36**	**16.35**	**5462.71**	**6471.36**	**10.60**	**6481.96**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	11.74	...	11.74	14.11	...	14.11	16.43	...	16.43	17.21	...	17.21
2. विकास आयुक्त (सूलमउ)	20.63	...	20.63	25.46	...	25.46	22.28	...	22.28	26.26	...	26.26
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**32.37**	**...**	**32.37**	**39.57**	**...**	**39.57**	**38.71**	**...**	**38.71**	**43.47**	**...**	**43.47**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान	380.45	...	380.45	315.35	...	315.35	315.35	...	315.35	315.00	...	315.00
4. ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	48.26	...	48.26	34.37	...	34.37	34.37	...	34.37	34.00	...	34.00
5. खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.)	3.00	...	3.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	5.00	...	5.00
6. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम	14.85	...	14.85	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	101.39	...	101.39
7. बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए)	...	...	...	341.63	...	341.63	341.53	...	341.53	340.00	...	340.00
8. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	30.29	...	30.29	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
9. कयर विकास योजना	45.32	...	45.32	45.45	...	45.45	50.75	...	50.75	50.00	...	50.00
10. कयर उद्यमी योजना	6.88	...	6.88	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00
11. खादी, ग्रामोद्योग और कयर के लिए ऋण	...	0.33	0.33	...	0.55	0.55	...	0.35	0.35	...	0.60	0.60
जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास	**529.05**	**0.33**	**529.38**	**845.80**	**0.55**	**846.35**	**846.00**	**0.35**	**846.35**	**930.39**	**0.60**	**930.99**
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
12. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर)	69.59	...	69.59	100.00	...	100.00	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00
13. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी)	298.45	...	298.45	385.00	...	385.00	630.00	...	630.00	506.00	...	506.00
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	**368.04**	**...**	**368.04**	**485.00**	**...**	**485.00**	**650.00**	**...**	**650.00**	**556.00**	**...**	**556.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
14. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1280.80	...	1280.80	1139.00	...	1139.00	1120.00	...	1120.00	1024.49	...	1024.49
15. सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)	40.07	...	40.07	49.50	...	49.50	49.50	...	49.50	50.00	...	50.00
16. ऋण सहायता कार्यक्रम	70.99	...	70.99	50.00	...	50.00	2017.78	...	2017.78	3002.00	...	3002.00
17. भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
18. निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम-	37.00	...	37.00	200.00	...	200.00	55.72	...	55.72	10.00	...	10.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	**1428.86**	**...**	**1428.86**	**1439.50**	**...**	**1439.50**	**3243.00**	**...**	**3243.00**	**4086.49**	**...**	**4086.49**
विपणन संवर्धन स्कीम												
19. विपणन विकास कार्यक्रम	13.01	...	13.01	15.50	...	15.50	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
20. विपणन सहायता स्कीम	16.52	...	16.52	20.00	...	20.00	19.80	...	19.80	15.00	...	15.00
21. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	3.60	...	3.60	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	**33.13**	**...**	**33.13**	**43.50**	**...**	**43.50**	**34.80**	**...**	**34.80**	**35.00**	**...**	**35.00**
उद्यमिता और कौशल विकास												
22. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	6.02	...	6.02	10.15	...	10.15	10.15	...	10.15	10.00	...	10.00
23. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	119.66	...	119.66	138.20	...	138.20	152.00	...	152.00	160.00	...	160.00
24. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	72.87	...	72.87	79.99	...	79.99	43.34	...	43.34	30.00	...	30.00
25. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (रूगमी)	0.99	...	0.99	1.00	...	1.00	0.70	...	0.70	...	...	...
26. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	**199.54**	**...**	**199.54**	**229.35**	**...**	**229.35**	**206.20**	**...**	**206.20**	**200.01**	**...**	**200.01**
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
27. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	190.05	...	190.05	266.00	...	266.00	239.00	...	239.00	300.00	...	300.00
28. अवसंरचना और क्लस्टर विकास कार्यक्रम (ईएपी)	31.71	...	31.71	75.00	...	75.00	155.00	...	155.00	250.00	...	250.00
29. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:	...	2.62	2.62	...	10.00	10.00	...	16.00	16.00	...	10.00	10.00
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	**221.76**	**2.62**	**224.38**	**341.00**	**10.00**	**351.00**	**394.00**	**16.00**	**410.00**	**550.00**	**10.00**	**560.00**
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
30. डाटाबेस का उन्नयन	18.57	...	18.57	28.50	...	28.50	12.65	...	12.65	9.00	...	9.00
31. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.13	...	0.13	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
32. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	60.00	...	60.00
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	**18.70**	**...**	**18.70**	**30.50**	**...**	**30.50**	**33.65**	**...**	**33.65**	**70.00**	**...**	**70.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2799.08**	**2.95**	**2802.03**	**3414.65**	**10.55**	**3425.20**	**5407.65**	**16.35**	**5424.00**	**6427.89**	**10.60**	**6438.49**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
33. वास्तविक वसूलियां	-5.66	...	-5.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***2825.79***	***2.95***	***2828.74***	***3454.22***	***10.55***	***3464.77***	***5446.36***	***16.35***	***5462.71***	***6471.36***	***10.60***	***6481.96***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	2.62	2.62	...	9.50	9.50	...	12.50	12.50	...	9.00	9.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**2.62**	**2.62**	**...**	**9.50**	**9.50**	**...**	**12.50**	**12.50**	**...**	**9.00**	**9.00**
आर्थिक सेवाएं												
2. ग्राम एवं लघु उद्योग	2814.08	...	2814.08	3140.61	...	3140.61	4957.00	...	4957.00	5810.30	...	5810.30
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.74	...	11.74	14.11	...	14.11	16.43	...	16.43	17.21	...	17.21
4. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	0.33	0.33	...	0.55	0.55	...	0.35	0.35	...	0.60	0.60
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**2825.82**	**0.33**	**2826.15**	**3154.72**	**0.55**	**3155.27**	**4973.43**	**0.35**	**4973.78**	**5827.51**	**0.60**	**5828.11**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	299.50	...	299.50	472.93	...	472.93	643.85	...	643.85
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	0.50	0.50	...	3.50	3.50	...	1.00	1.00
जोड़-अन्य	**-0.03**	**...**	**-0.03**	**299.50**	**0.50**	**300.00**	**472.93**	**3.50**	**476.43**	**643.85**	**1.00**	**644.85**
कुल जोड़	**2825.79**	**2.95**	**2828.74**	**3454.22**	**10.55**	**3464.77**	**5446.36**	**16.35**	**5462.71**	**6471.36**	**10.60**	**6481.96**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	519.86	519.86	...	439.00	439.00	...	308.09	308.09	...	439.00	439.00
जोड़	**...**	**519.86**	**519.86**	**...**	**439.00**	**439.00**	**...**	**308.09**	**308.09**	**...**	**439.00**	**439.00**

1. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **विकास आयुक्त (सूलमउ):** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वयन और मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) के स्थापना संबंधित व्यय के लिए है।

3. **खादी अनुदान:** (क) खादी अनुदान बजटीय शीर्ष के अंतर्गत खादी के संवर्धन एवं विकास के लिए आबंटन (ख) खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड स्कीम (ग) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना हेतु सहायता।

4. **ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान:** इस उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का आशय प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उपयुक्त आईटी सहायता के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना, नए उत्पादों के विकास के लिए आबंटन, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों तथा केवीआईसी/केवीआईबी से संबद्ध संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन विकास शुरू करना, सामान्य सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

5. **खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.):** इस उप-शीर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए बजटीय आबंटन का प्रावधान है।

6. **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम:** इस सुधार पैकेज के अंतर्गत खादी की वर्धित संपोषणीयता, कारीगरों की वर्धित आय और रोजगार, वर्धित कारीगर कल्याण से खादी क्षेत्र का पुनरूद्धार करना और केवीआईसी को सरकारी अनुदान पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव है। आरम्भ में यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों के समावेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 300 खादी संस्थानों में कार्यान्वित किया जाएगा। 100 संस्थाओं में पहाड़ी, सीमावर्ती तथा उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में एक खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है

7. **बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए):** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बाजार विकास सहायता स्कीम को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है। एमपीडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/विभिन्न शीर्ष घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार की गई है। अवसंरचना के एक घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है।

पूर्ववर्ती बाजार विकास सहायता के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं (30 प्रतिशत), बिक्री करने वाली संस्थाओं (45 प्रतिशत) तथा कारीगरों (25 प्रतिशत) के बीच वित्तीय सहायता वितरित की गई। संशोधित एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं (40 प्रतिशत), बिक्री करने वाली संस्थाओं (20 प्रतिशत) तथा कारीगरों (40 प्रतिशत) के बीच वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। इससे कारीगरों की आय में वृद्धि होगी।

8. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** केन्द्रीय बजट 2013-14 में सरकार ने लगभग 4 लाख कारीगरों को कवर करने के लिए 12वीं योजना के दौरान 800 खादी, ग्रामोद्योग तथा कयर क्लस्टरों को स्थापित करने की घोषणा की है।

9. **कयर विकास योजना:** कयर उद्योग के समग्र विकास को संवर्धित करने के लिए और इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय कयर बोर्ड की स्थापना की गई है। कयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलाप संचालित करना, नए उत्पाद और डिजाइन का विकास करना, भारत और विदेश में कयर और कयर उत्पादों के विपणन आदि शामिल हैं।

10. **कयर उद्यमी योजना:** कयर बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय कयर उद्योग के पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नययन (रिमोट) एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता अप्रचलित रटों/करघों के प्रतिस्थापन करने तथा वर्कशेड निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाती है जिससे कामगारों की उत्पादकता/उत्पादन तथा आय बढ़ सके।

12. **नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कृषि उद्योग में उद्यमिता बढ़ाने तथा नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता के संवर्धन के लिए (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम) एस्पायर नामक एक नई स्कीम दिनांक 18.03.2015 को शुरू की है। एस्पायर के अंतर्गत 80 आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेशन (एलबीआई) केन्द्र स्थापित किए जाने हैं जिनमें कुल 104000 इंक्यूबेट को प्रशिक्षित किया जाएगा और 30 (10 नये और 20 मौजूदा) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेशन केन्द्रों की सहायता कर स्थापना की जाएगी। नये उद्यमों के लिए सिडबी के अंतर्गत निधियों का एक कोष सृजित किया गया है। 28.12.2016 की स्थिति के अनुसार 40.64 करोड़ रूपए की कुल सहायता से 50 एलबीआई और 5 टीबीआई को अनुमोदित किया गया है।

13. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी):** इस कार्यक्रम में ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (छह स्कीमें) अर्थात् लीन विनिर्माण स्कीम, आईसीटी औजारों का संवर्धन, प्रौद्योगिकी उन्नटयन गुणवत्ता प्रमाणन (टीईक्यूयूपी), इंक्यूबेशन केंद्र, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और बार कोड,जेडईई प्रमाणन स्कीम में सूलमउ को वित्तीय सहायता शामिल हैं।

14. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) स्कीमों का विलय करके 2008-09 में शुरू की गई। पीएमईजीपी का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये है।

15. **सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम बजटीय स्रोतों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतराल को भरने के लिए बैंकिंग संस्थानों से निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मई 1977 में प्रारंभ खादी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं की अपेक्षानुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्था को मात्र 4 प्रतिशत भुगतान करना होता है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) में पंजीकृत सभी खादी संस्थाएं ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के तहत वित्तपोषण का लाभ ले सकते हैं।

16. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम प्रचालित है और इस स्कीम के माध्यम से, नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दी गई है। इस निधि की कार्पस को 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टफोलियो जोखिम निधि (पीआरएफ) के एक

और घटक में, भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करती है जिसका उपयोग एमएफआई/एनजीओ से ऋण की राशि की सुरक्षा जमा आवश्यकता के लिए किया जाता है।

17. **भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि:** नीति आयोग द्वारा दिए गए विचारों के मद्देनजर सम्यक विचार-विमर्श के बाद भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि को बंद कर दिया गया है। इस स्कीम को एआईएम, सेतु, स्टेंडअप, स्टार्टअप जैसी स्कीमों को प्रारंभ करने के विचार से सरकारी प्रयासों की पुनरावृत्ति के रूप में देखा गया था।

18. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम-:** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उदयमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रूपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है।

19. **विपणन विकास कार्यक्रम:** खुदरा बाजार में उत्पादों के सफल अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए बार कोडिंग एक अति आवश्यक आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार कोडिंग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बार कोडिंग के लिए एकबार पंजीकरण लागत की 75% की प्रतिपूर्ति की एक स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रचालित है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बड़े पैमाने पर बार कोडिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जीएसआई इंडिया द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) के 75 प्रतिशत भाग के पहले तीन वर्षों में सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। इस स्कीम में उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। निर्यात के लिए पैकेजिंग में भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें सूलमउ की उद्यमिता और प्रबंधन विकास, विपणन के लिए आनुषंगीकरण सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी शामिल है।

20. **विपणन सहायता स्कीम:** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी द्वारा घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

21. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है।

22. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी):** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का पुनरूद्धार करके 2001 में की गई। एमगिरी का उद्देश्य संपोषणीय और आत्मरनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था के गांधी विजन की भाँति देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

23. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रबंधन विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आईएमसी, ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी) कौशल, कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और सूलमउ-विकास संस्थान को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (टीआरईएडी) स्कीम को भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत गैर-कृषि कार्यकलापों में महिलाओं के उद्यमिता कौशलों के विकास के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

24. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशा-निर्देशों (1.9.2016 सेप्रभावी) में निम्नलिखित के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: (1) एमएसएमई मंत्रालय और राज्य स्तरीय मौजूदा ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थान को अवसंरचनात्मक सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता।(2) एमएसएमई संबंधी मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन (3) एमएसएमई पीठ; और (4) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण।

नई ईडीआई स्थापित करने के लिए संशोधित स्कीम के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ को वित्तीय सहायता हेतु इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।

26. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

27. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** सूलमउ क्लस्टर पर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधियन के साथ अवसंरचनात्मक सहायता को भी जोड़ा गया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए प्रदर्शनी वेंट्रल स्थलों की स्थापना करने में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उद्यमियों के सहयोग को भी सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्य घटक प्रौद्योगिकी केन्द्रो प्रणाली कार्यक्रम और सूलमउ-टीसी/टीएएस हैं।

29. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय::** इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद और मौजूदा भवनों में फेरबदल/संवर्द्धन संबंधी कार्यों और नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का प्रावधान है।

30. **डाटाबेस का उन्नयन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयों की संख्या, रोजगार की वृद्धि दर, जीडीपी में हिस्सा/ उत्पादन का मूल्य, रुग्णता/समापन का परिमाण और सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों के निर्यात के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और पंचवार्षिक गणना के द्वारा आंकड़े और सूचना एकत्र किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवार्ड (उद्यमी और गुणवत्ता), विज्ञापन एवं प्रचार इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं।

31. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओं पर संगत एवं विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से/समय-समय पर एकत्र करना, आनुभाविक आंकड़े अथवा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्मुख आई बाध्यताएं तथा चुनौतियों का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, तथा नीति अनुसंधान तथा समुचित कार्यनीति तैयार करना सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपायों के लिए इन सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम का प्रयोग करना है।

32. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र::** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब के सृजन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हब सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए केन्द्रीय सरकार लोक प्रापण (प्रोक्योरमेंट) नीति के अंतर्गत

दायित्व पूरा करने के लिए अजा/अजजा उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा, लागू व्यवसाय पद्धतियों तथा स्टैंड अप इंडिया पहल लिवरेज को स्वीकार करेगा। इस स्कीम को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। हब के कार्यों में अजा/अजजा उद्यमों एवं उद्यमियों के संबंध में सूचना का संग्रह, मिलान एवं प्रसार, कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी, विक्रेता विकास के माध्यम से विद्यमान एवं भावी अजा/अजजा उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण शामिल हैं।